

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

COCHIN SHIPYARD LTD

कार्मिक व प्रशासन विभाग

PERSONNEL AND ADMINISTRATION DEPARTMENT

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

पीएण्डए/प्रशा./P&A/Admin/109/04/19

31.05.2019

शिपयार्ड आश्वासा किरणम (सखी)

SHIPYARD ASWASA KIRANAM (SAKI)

(सीएसएल कर्मचारियों के लिए एक आकस्मिक राहत योजना जो

01.01.2007/01.04.2007 और 01.01.2017/01.04.2017 के बीच की अवधि के
दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं / A contingency relief scheme for CSL employees
who retired during the period between 01.01.2007/01.04.2007 and
01.01.2017/01.04.2017)

दिशा-निर्देश /GUIDELINES

1. सीएसएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सीएसएल के उन स्थायी कर्मचारियों के लाभ हेतु "शिपयार्ड आश्वासा किरणम" नामक एक आकस्मिक राहत योजना उन स्थायी कर्मचारियों के लाभ हेतु शुरू करने में खुशी महसूस हो रही है, जिन्होंने 01.01.2007 और 01.01.2017 अधिकारियों व पर्यवेक्षकों के मामले में और 01.04.2007 और 01.04.2017 कामगारों के मामले में, इस अवधि के दौरान 15 साल की सेवा के बाद सीएसएल की सेवाओं से सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं। योजना का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए सीएसएल के उन पूर्व कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी तक उनकी जरूरत के समय में पहुँचाना है। कंपनी ने पूर्व कर्मचारियों की उपरोक्त श्रेणियों के लिए शिपयार्ड चिकित्सा अंशदायी योजना (एसएमसीएस) और बीमा बद्ध पोस्ट रिटायरमेंट चिकित्सा सहायता योजना (आईएलपीएमएस) नामक एक पोस्ट रिटायरमेंट चिकित्सा योजना शुरू की थी। जबकि इन योजनाओं में, योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों के चिकित्सा उपचार के लिए बीमा से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान था, सखी जीवित रहने और स्वस्थ रहने के लिए विशेषकर उन मामलों के लिए जहाँ एसएमसीएस/आईएलपीएमएस के तहत राहत उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं पर काबू पाने के

लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना करता हैं। निम्नलिखित वे सामान्य दिशा-निर्देश/ रूपरेखा है जिनके भीतर उक्त नियम संचलित किया जाएगा। इन सामान्य दिशा-निर्देशों के बावजूद, सीएसएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पास इस संबंध में उचित निर्णय लेने हेतु पूर्ण और गैर-चुनौतीपूर्ण विवेकाधीन शक्तियाँ होगी, जो उसके संचालन के किसी भी समय उनके द्वारा उचित समझे गए हो। इस संबंध में सीएसएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्य होगा।

C&MD of CSL is pleased to introduce "Shipyards Aswasa Kiranam", a contingency relief scheme for the benefit of those permanent employees of CSL who superannuated or voluntarily retired from the services of CSL after 15 years of service, during the period between 01.01.2007 and 01.01.2017 in the case of officers and supervisors and 01.04.2007 and 01.04.2017 in the case of workmen. The quintessential objective of the scheme is to reach out to those former employees of CSL or their surviving spouses in their hour of need for maintaining a healthy life. Company had introduced a post-retirement medical assistance scheme called Shipyards Medical Contributory Scheme (SMCS) and an Insurance Linked Post-retirement Medical Assistance Scheme (ILPMAS) for the above categories of former employees respectively. While these schemes contained provision for extending insurance linked financial assistance for medical treatment of the eligible persons under the schemes, the SAKi envisages financial assistance to them to tide over their contingency requirements for survival and healthy living, especially for those cases where relief is not available under SMCS/ILPMAS. The following are general guidelines/frame work within which the said proviso may be operated. Notwithstanding these general guidelines, C&MD of CSL shall have the absolute and un-challengeable discretionary powers to make appropriate decisions in this regard as deemed fit by him at any point of time of its operation. Decision of C&MD of CSL in this regard shall be final and binding on all.

(i) आकस्मिक व्यय या आपात स्थिति जो विशेष सहायता के योग्य हो सकती हैं:
Contingencies or emergencies qualifying special assistance could be:

a. सेवानिवृत्त कर्मचारी या उसके पति या पत्नी की दीर्घकालीन बीमारी, जिसमें संबंधित पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल सहायता योजनाओं के तहत पर्याप्त गैर-प्रतिपूर्ति योग्य चिकित्सा उपचार खर्च शामिल है।

Prolonged illness of either the retired employee or his spouse involving substantial non-reimbursable medical treatment expenses under the respective post-retirement medical assistance schemes.

b. परिवार की गरीबी की दयनीय स्थिति / Abject poverty of the family.

c. प्राकृतिक आपदाओं या विपदा के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी के आवास खण्ड को नुकसान ।

